

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री देव रंजन वर्मा (I.P.S.) के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द मिश्र के पर्यवेक्षण में जनपद बलरामपुर में दिनांक 25.09.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था हेतु चलाये गये चेंकिंग अभियान में निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयीं।

पीली धातु की मुर्ति के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना को0नगर द्वारा दिनांक 25.09.2019 को अभियुक्त नसरुद्दीन पुत्र सफायतुल्लाह नि0 अहलवा थाना को0देहात जनपद बलरामपुर को पीली धातु की मुर्ति के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा-41/102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना तुलसीपुर द्वारा दिनांक 25.09.2019 को अभियुक्त अरमान पुत्र हारुन नि0 रेहरा थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना स्थानीय पर धारा-498ए/304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट का वांछित था।

वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

थाना उतरौला द्वारा दिनांक 25.09.2019 को अभियुक्त इजहार उर्फ पप्पू नि0 तकिया कर्बला मश0 बनगवा थाना उतरौला जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना स्थानीय पर धारा-323/504/506 भादवि0 का वारंटी था।

शांति भंग (151CrPC) की आशंका में (10) गिरफ्तार

थाना पचपेड़वा द्वारा दिनांक 25.09.2019 शांतिभंग की आशंका में अभियुक्तगण 1-हरिशचन्द्र चौधरी नि0 त्रिलोकपुर 2-धर्मेन्द्र उर्फ चिनका 3-रामनिवास उर्फ पुल्लू नि0गण ग्राम मड़नी 4-अब्दुल हमीद 5-कलीम 6-अब्दुल रहीम 7-शमीम खान उर्फ पुल्लूर 8-इबरार 9-उमेद 10-अब्दुल अजीज नि0गण विशुनपुर कोडर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर को धारा 151 CrPC के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उनका चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 CrPC किया गया।

पैदल गस्त अभियान में की गयी कार्यवाही:-

अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे चेंकिंग अभियान में दिनांक 25.09.2019 को 146 स्थानों पर गस्त की गयी, 229 स्थानों पर चेंकिंग की गयी जिसमें चेंकिंग के दौरान 261 संदिग्ध व्यक्तियों की चेंकिंग की गयी, 13 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, 01 अभियोग पंजीकृत किये गये, 05 मनचले लड़के व शोहदों के अभिभावक को को बुलाकर चेतावनी दी गयी एवं अभियान के दौरान 64 अवैध अतिक्रमणों को हटवाया गया तथा उपरोक्त कार्यवाहियां की गयीं।